12.6.15

मिसल

नि०

सुन्दरबाई

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट अभियान दाहीया पर पेश हुई। वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश वादीगण को सुना गया। वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त जमीन श्री धन्नालाल के नाम पर दर्ज है। धन्ना फौत हो चुके हैं। धन्ना के वारिसान वादीगण हैं। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजियात से कोई सरोकार नहीं है फिर भी प्रतिवादी वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पेश करते हैं। अतः वादग्रस्त आराजियात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वादीगण के कथनों पर मनन किया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वादीगण एवं धन्ना के वारिसान हैं। प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है फिर भी वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते हैं जो उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं मौजा दाहीया पटवार हल्का तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 101 में वर्णित आराजियात किता 14 कुल रकबा 2.7550 है० भूमि का धन्नालाल पिता रूपाजी के स्थान वादीगण श्रीमती जमनाबाई पत्नी धन्नालाल, सुन्दर, मीरा, बापु पुत्री धन्नालाल को खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी पेश नहीं करें। पत्रावली नियमित बाद संख्या से दर्ज हो।

निर्णय सुनाया गया।